

जिला खनन कार्यालय, अररिया

पत्रांक...../एम0, दिनांक

प्रेषित,

मेसर्स- NANDANI INT UDHYOG

प्रो0- प्रभात केशरी,

पिता- दिलीप कुमार केशरी

ग्रा0- एस0के0 रोड फारविसगंज,

पो0+ था0- फारविसगंज,

अंचल- फारविसगंज, जिला- अररिया।

विषय:- खनन योजना(Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक- 3466/एम0, पटना, दिनांक- 22.08.2024, एवं SEIAA, बिहार का पत्रांक-171, दिनांक- 10.04.2024

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अररिया जिलान्तर्गत फारविसगंज प्रखण्ड के मौजा- रामगंज के खाता सं0- 49,89,168,171,163,199, खेसरा सं0- 115,472,474,481,484,479 कुल रकबा- 3.64 एकड़ में लघु खनिज ईट मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव सह निदेशक बिहार, पटना के पत्रांक-4156/एम0, पटना, दिनांक- 27.12.2016 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है:-

1. खनन योजना का अनुमोदन 24223 घन मीटर (Cubic Meter) ईट मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. उत्खनन किए गए ईट मिट्टी का उपयोग ईट चिमनी भट्टा में किया जायेगा।
3. ईट मिट्टी के खनन की गहराई खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित गहराई से अधिक नहीं होगा।
4. खनन कार्य ग्राउंड वाटर लेवल से कम से कम 02 मीटर ऊपर तक सिमित रखा जायेगा।
5. ईट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ ईट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रिया-कलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
6. खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
7. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जायेगा।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेरा बंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सकें।
9. ढुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किये जाएंगे।
10. ईट मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोग वाहको (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
11. कामगारों/मजदूरों को पेयजल और सफाई सम्बंधी सुविधाये प्रदान की जाएगी।
12. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जायेगी।
13. उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी अरौनिक संरचना की दूरी कम से कम 50 मीटर रखी जायेगी।

14. राष्ट्रीय पार्को और वन्य प्राणी अभ्यारण्यकी सीमा के 1 किलोमीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में साधारण मिट्टी/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
15. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बनाकर किया जायेगा जिसकी अधिकतम उंचाई 1.0 मीटर एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मीटर होनी चाहिए।
16. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप सॉयल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जायेगा।
17. खनन योजना में वर्णित भूमि के स्वामित्व तथा भूस्वामियों की सहमति से सम्बंधित अभिलेखों की पुष्टी करा लिया जाना अपेक्षित होगा। भविष्य में यदि खनन योजना में वर्णित भूमि की विवरणी में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो खनन योजना स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
18. खनन कार्य मानसून के समय में नहीं की जाएगी।
19. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि खनन योजना अथवा कार्य में पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जायेगा।
20. विभागीय पत्रांक- 3466/एम0, पटना, दिनांक-22.08.2024 एवं SEIAA, बिहार का पत्रांक-171, दिनांक-10.04.2024 के आलोक में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
21. माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0-1628-1629/2024 में दिनांक-05.09.2024 को पारित आदेश में उल्लेखित निदेशों का अनुपालन करना होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

खनिज विकास पदाधिकारी
अररिया

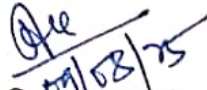
ज्ञापांक-...५३१...../खनन, अररिया, दिनांक-...०९.०८.२५

प्रतिलिपि:- RQP Dr. Ashish Sharma, Hasib Villa, Naya Tola Line Bazar
Purnea Bihar को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, अररिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, SEIAA, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।


खनिज विकास पदाधिकारी
अररिया



जिला खनन कार्यालय, अररिया

पत्रांक...../एम0, दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स- NANDANI INT UDHYOG प्रो0-प्रभात केशरी, पिता- दिलीप कुमार केशरी ग्रा0-एस0के0 रोड फारबिसगंज, पो0+ था0- फारबिसगंज, अंचल- फारबिसगंज, जिला- अररिया द्वारा अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के मौजा- रामगंज के खाता सं0- 49,89,168,171,163,199, खेसरा सं0- 115,472,474,481,484 ,479 कुल रकवा- 3.64 एकड़ क्षेत्र में ईट मिट्टी उत्खनन हेतु पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल करना चाहते हैं। रकवा 3.64 एकड़ क्षेत्र के अतिरिक्त 500 मीटर के अन्दर (Contiguous) में अन्य खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र आवेदित नहीं है तथा प्रस्तावित क्षेत्र का कुल रकवा 5.00 हैक्टेयर से कम है।

यह प्रमाण पत्र केवल पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मान्य है।

ह0/-

खनिज विकास पदाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक...432.../एम0, दिनांक...09.08.25...

प्रतिलिपि :- मेसर्स- NANDANI INT UDHYOG प्रो0-प्रभात केशरी, पिता- दिलीप कुमार केशरी ग्रा0-एस0के0 रोड फारबिसगंज, पो0+ था0- फारबिसगंज, अंचल- फारबिसगंज, जिला- अररिया को सूचनार्थ।

09/08/25
खनिज विकास पदाधिकारी
अररिया

